# सप्तदश

# बिहार विधान सभा

## पंचम सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

### वर्ग-3

बुधवार, तिथि 25 फाल्गुन, 1943 (श०)
16 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | श्रम संसाधन विभाग | - | - | 02 |
| (2) | ग्रामीण कार्य विभाग | - | - | 02 |
| (3) | ग्रामीण विकास विभाग | - | - | 01 |
| | | | कुल योग -- | 05 |

कार्रवाई करना

79. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "जीविका मिशन ने कौशल प्रशिक्षण के लिये चेन्नई की दिवालिया कम्पनी को दिया टेंडर, 1.94 करोड़ का गबन" के आलोक में क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में राज्य में ग्रामीण युवाओं के कौशल प्रशिक्षण और नियोजन के कार्यक्रम के अधीन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा चेन्नई की कम्पनी एवरौन के साथ करार कर 7.77 करोड़ की योजना का 25 प्रतिशत राशि लगभग 1.94 करोड़ कम्पनी को दे दिया गया, जबकि कम्पनी करार से पूर्व ही दिवालिया हो गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि मात्र कम्पनी पर कार्रवाई की गई है, किन्तु दोषी पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकारी राशि के दुरुपयोग के लिये दोषियों पर सरकार कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कार्रवाई करना

'क'-80. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "राजस्थान में हर दूसरा तो बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमांचल में हर तीसरा ग्रेजुएट है बेरोजगार" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सेन्टर फॉर मोनिटरिंग इंडियन इकोनोमी (C.M.I.E) के प्रकाशित ताजा आँकड़ों के मुताबिक बिहार के हर 3 ग्रेजुएट बेरोजगार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 12 बड़े राज्यों की तुलना में बिहार बेरोजगारी के मामले में तीसरे स्थान पर है जहाँ 38.84 लाख युवा काम की तलाश में भटक रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के बेरोजगारी दूर करने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

सड़क सम्पर्कता प्रदान कराना

81. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा बसावटों को सड़क सम्पर्कता प्रदान करने हेतु प्रकाशित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क की सूची से वंचित बसावटों को सड़क सम्पर्कता प्रदान करने के लिये कोर नेटवर्क का पूरक 1 एवं पूरक 2 तैयार किया गया था, जिसमें से पूरक 2 में सूचीबद्ध बसावटों को आजतक सम्पर्कता प्राप्त नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कोर नेटवर्क के पूरक 2 के बसावटों को सड़क सम्पर्कता प्रदान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

नोट--'क'-सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 43, दिनांक 21 फरवरी, 2022 द्वारा श्रम संसाधन विभाग में स्थानान्तरित ।

निविदा का निष्पादन

82. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 38 जिलों में ग्रामीण सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग से संचालित योजनाओं से निर्माण किया जाता है जिसके निर्माण करने के लिये निविदा का प्रकाशन कर संवेदक का चयन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा निविदा का निष्पादन निविदा के प्रकाशन तिथि से 120 दिनों के अंदर किये जाने का प्रावधान है, जबकि NIT NO-RWD/बारसोई/MMGSY/E-TENDER/04/2021-22 RWD/MMGSY/NDB/Q/ET/19-05-01-01/10/2019 सहित विभाग द्वारा वर्ष 2016 से आजतक प्रकाशित निविदा का निष्पादन निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रकाशित निविदा के निष्पादन में विलम्ब करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुये निविदा का निष्पादन ससमय पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

परियोजना का जाँच करना

83. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मनरेगा अधिनियम में यह प्रावधान है कि आवश्यकतानुसार बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ तथा कृषि कार्य में भी मनरेगा मजदूरों से काम लेकर मजदूरों का भुगतान किया जाये परंतु राज्य में मनरेगा के तहत एक भी बड़ी परियोजना या खेती का काम मनरेगा से नहीं कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है । मनरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Annual Master Circular, 2021-22 के अनुसूची 1 में 45 श्रेणियों के 262 कार्य अनुमान्य है ।

मनरेगा के अनुमान्य कार्यों की 45 श्रेणियों में 262 कार्यों में कृषि एवं इससे संबंधित Agriculture & Allied Activity के कुल 164 कार्य अनुमान्य है । किन्तु इस सूची में कृषि कार्य में मनरेगा मजदूरों से काम लेकर उनकी मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किया जाना अनुमान्य कार्यों में शामिल नहीं है ।

भारत सरकार द्वारा निर्गत Annual Master Circular के अनुरूप विभाग द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश पत्रांक 441691, दिनांक 23 सितम्बर, 2019 की कंडिका 3(iv) के अनुसार मनरेगा अन्तर्गत 20 लाख या इससे अधिक की योजनाओं, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो यथा नदी तटबंधों को मजबूती प्रदान करने, नदी/नहर की उड़ाही का कार्य, भूमिगत जल निकास, नहर का स्तर एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो, संबंधित लाइन विभाग के तकनीकी पदाधिकारी से जाँच करवाकर सहमति के बाद ही मनरेगा के सक्षम पदाधिकारी द्वारा योजना को SECURE के माध्यम से तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान है ।

बिहार राज्य में मनरेगा योजना अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 लाख तक की सीमा अन्तर्गत कुल 1 लाख 32 हजार 863 योजनाएँ, 10 लाख से 20 लाख तक की सीमा अन्तर्गत कुल 97 योजनाएँ, 20 लाख से अधिक की सीमा अन्तर्गत कुल 99 योजनाएँ कार्यान्वित की गयी है ।

---

पटना :
दिनांक 16 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0 115 (एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550